

उल्लेखनीय है कि शिक्षा सत्र 2009-2010 में कक्षा पहली से आठवीं तक केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनेकों विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार से देश भर में लाखों बच्चों को नवीन शिक्षा का अधिकार कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि इस नियम में कुछ शिथिलता बरतते हुए शिक्षा सत्र 2009-2010 में अध्ययनरत अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर सुधारकर आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, तो देश के लाखों बच्चों के एक वर्ष को बचाया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शिक्षण संस्थानों में इसी वर्ष से की गई है। ऐसे अनुत्तीर्ण बच्चे छुट्टियों में अतिरिक्त समय में अध्ययन कर शैक्षणिक स्तर सुधार कर 1 जुलाई, 2010 से अगली कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

अतएव मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि इस नियम में कुछ शिथिलता बरतते हुए शिक्षा सत्र 2009-2010 में अध्ययनरत रहते हुए अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को शैक्षणिक स्तर सुधारने का अवसर देकर 1 जुलाई, 2010 से आगामी कक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो देश के लाखों बच्चों के एक वर्ष को बचाया जा सकता है।

**Demand to recognize anganwadi workers as Government
employees in the country**

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, today, at Jantar Mantar, New Delhi, thousands of Anganwadi employees from different States have assembled to press their long-pending just demands for the consideration of the Central Government. The poor Anganwadi employees are demanding that the Central Government should formulate a pension scheme at the Central level for all the Anganwadi workers and helpers; *ex-gratia* payment of Rs. 1 lakh to the Anganwadi workers and Rs. 50,000 to the Anganwadi helpers who have been forcibly retired or removed from service; immediate enhancement of remuneration of these workers and helpers considering the spiralling rise in prices of essential commodities; minimum wages and automatic linkage of wages to the CPI and payment of DA; non-privatization of ICDS, including the supply, preparation and distribution of supplementary nutrition; and regularization of ICDS and recognition of Anganwadi workers and helpers as Grade III and Grade IV Government employees.

Sir, ICDS is a unique scheme, if it is implemented properly. Keeping Anganwadi workers and helpers, who are bringing up the children and contributing to build the future of our country, in a pathetic economic condition is really frustrating the aims and objects of ICDS. Hence, I urge upon the Government to consider their demands sympathetically.

**Demand to rehabilitate people displaced due to land acquisition for
Rourkela Steel Plant in Orissa by giving them appropriate employment**

SHRI MANGALA KISAN (Orissa) : Sir, a large number of families were displaced during land acquisition for the Rourkela Steel Plant. The last meeting between the local administration and the Rourkela Steel Plant was held on 11th March, 1993. Even after 17 years, no other meeting has held and a large number of displaced persons are yet to get employment. The authorities of the Rourkela Steel Plant have not given any firm assurance as to when all the displaced persons would be given a permanent job. I would also like to bring to the notice of the

Government that among the displaced persons, people from Bangladesh, West Bengal, Ranchi, Balasore, Cuttack have also been included leading to discrimination against people of Sundargarh. This matter needs to be resolved at the earliest. The capacity of ITI, Rourkela has to be increased so that more people can be trained and given employment. Therefore, I request the Government to clear the backlog immediately. The other units of SAIL should also be directed to clear the backlog of SCs and STs in employment. The matter may be inquired into and the genuine people should be given employment. Thank you.

SHRI RUDRA NARAYAN PANY (Orissa): Sir, I associate myself with this matter.

SHRI KISHORE KUMAR MOHANTY (Orissa): Sir, I also associate myself with this issue.

Demand to conduct the caste-based census in the country

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश): महोदय, राष्ट्रीय जनगणना आरम्भ हो चुकी है। 14 माह में 640 जिलों, 5767 तहसीलों, 7742 शहरों एवं 6 लाख गांवों के 120 करोड़ नागरिकों से 35 बिन्दुओं पर आधारित जानकारी दो चरणों में एकत्रित की जाएगी। भारत की 15वीं जनगणना से प्राप्त आंकड़े जनसंख्या, नीति, सुरक्षा, शिक्षा व विकास के नियोजन एवं मूल्यांकन का आधार बनेंगे। राष्ट्रीय जनगणना से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तथा 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का 16 अंकों का बहु-उपयोगी विशिष्ट पहचानपत्र भी जारी होना है, जिसमें फोटो, उंगलियों के निशान एवं अन्य जानकारी उपलब्ध रहेगी।

महोदय, मेरा सरकार से सुझाव है कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लागू करने से पहले सदन में चर्चा अवश्य करवानी चाहिए थी, ताकि माननीय सदस्यों के सुझावों का संज्ञान लिया जाता। सरकार को इस विषय पर स्वीकार करना चाहिए कि भारत में हर व्यक्ति किसी न किसी जाति और धर्म में जन्म लेता है, यह अकाट्य वास्तविकता है फिर सरकार जातीय जानकारी प्राप्त करने में क्यों कतराती है। विगत 14 जनगणनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जानकारी लगातार एकत्र की गई, परन्तु कोई अशांति और विभाजन नहीं हुआ। अब पिछड़े वर्ग की जानकारी प्राप्त करने में विभाजन और अशांति का कुकृत्य हास्यास्पद लगता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार यह जाने कि पिछड़े वर्ग की कितनी जनसंख्या किस हाल में है, तभी उनके उत्थान की योजना बनाई जा सकेगी। जिस प्रकार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों की वास्तविकता उजागर कर सरकार की खोखली कार्यशैली की पोल खोली है, इसी प्रकार सरकार पिछड़े वर्ग से उत्पन्न ज्वलंत ऊर्जा से घबरा रही है। देश में जानवरों की गणना जातिवार हो सकती है, तो नागरिकों की गणना जातिवार क्यों न हो। कुछ विकसित देश यूआईडी की उपयोगिता को नकार रहे हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस जानकारी का दुरुपयोग पुलिस, सरकारी तंत्र या अपराधिक तत्व अन्यथा न कर सकें।

Demand to take steps for renovation of Dr. B.R. Ambedkar

Memorial at 26, Alipur, New Delhi

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र): डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन के पांच प्रमुख स्थान हैं। वह महू, जहां उनका जन्म हुआ, वह महाड जहां उन्होंने छूआछूत के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, वह नागपुर, जहां उन्होंने धर्म परिवर्तन के निर्णय को अमली जामा पहनाया, जहां उनकी मृत्यु हुई व 26, अलिपुर का निवास, दिल्ली और चैत्यभूमि मुंबई, जहां उनकी अंत्येष्टि हुई। जहां संविधान का काम हुआ और स्थापना हुई, वह तो यह संसद परिसर है। सभी स्थानों पर समय से राष्ट्रीय स्मारक बने, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत तक 26, अलिपुर में स्मारक नहीं बना था, जिसकी बरसों से मांग और प्रतीक्षा थी।